

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

OA No. 446/2022

IN THE MATTER OF:

Balwinder Kumar

Applicant

Versus

State of Haryana and others

Respondents

INDEX

Sr. No.	Particulars	Page
1.	Reply cum Status Report on behalf of Respondent No. 12 & 13 through DDPO, Yamuna Nagar.	1-2
2.	NGT order dated 08.11.2023 (Annexure-R/1).	3-4
3.	FIRs Status Report (Annexure R/2).	5
4.	Status regarding nature, user, possession, mining, reclamation cultivation, afforestation of land (Annexure R/3).	6-13

FILED BY: -

Place: Yamuna Nagar

Dated: 30.01.2024


DDPO,
Yamuna Nagar.

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

OA No.446/2022

IN THE MATTER OF :

Balwinder Kumar

Applicant

Versus

State of Haryana and others

Respondents

Reply on behalf of Respondent No. 12 & 13 through DDPO, Yamuna Nagar.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

1. The Hon'ble NGT vide orders dated 08.11.2023(Annexure-R/1) passed the following directions:-

"3. In the facts and circumstances of the case we consider presence of the Gram Panchayat, Bhudkala and DDPO, Yamuna Nagar to be necessary for just and fair adjudication of the environmental questions involved in the present case. Accordingly, Gram panchayat, Bhudkala through its Sarpanch are impleaded as respondents no. 12 and Memo of parties be amended accordingly.

4. The Registry is directed to issue notice to respondents no. 12-Gram Panchayat, Bhudkala and respondent no. 13-DDPO, Yamuna Nagar requiring them to file tabular detailed reply/response to the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee and replies filed by other respondents. The Gram Panchayat, Bhudkala and DDPO, Yamuna Nagar shall specifically mention in their reply/response as to the total area of land which vests in Gram

Panchayat, Bhudkala and the present status regarding nature, user, possession, mining, reclamation cultivation, afforestation of the same. Reply/response be filed by respondents no. 12-Gram Panchayat, Bhudkala and respondents no. 13- DDPO, Yamuna Nagar within two months by email at judicial- ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not form of Image PDF.

5. Respondent no. 3 and 6 are directed to file status report in tabular format with all relevant details regarding FIRs registered and criminal cases/ complaints filed in respect of cases of illegal mining, cutting of trees and operation of stone crushers over the land in question within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF."

2. Status report in tabular format with all relevant details regarding FIRs registered is attached as **(Annexure R/2)** and status regarding nature, user, possession, mining, reclamation cultivation, afforestation of land is attached as **(Annexure R/3)**.


DDPO,
Yamuna Nagar.

Place: Yamuna Nagar
Dated: 30/01/2024

Item No. 4

(Court No. 2)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

(Through Physical Hearing with Hybrid VC Option)

Original Application No.446/2022

Balwinder Kumar

Applicant

Versus

State of Haryana & Ors.

...Respondents

Date of hearing: 08.11.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.**

Applicant: Applicant in Person.

Respondents: Mr. Rahul Khurana Advocate for Respondents no. 1 to
6
Mr. Narender Pal Singh Advocate for Respondents No.
7, 8 & 11.
None for the respondents no. 9 and 10.**Application is registered based on a letter petition received by Post.****ORDER**

1. Learned Counsel for respondents no. 7, 8 and 11 seeks time to file their reply/response.
2. Request is allowed. Reply/response be filed by respondents no. 7, 8 and 11 within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
3. In the facts and circumstances of the case we consider presence of the Gram Panchayat, Bhudkala and DDPO, Yamuna Nagar to be necessary for just and fair adjudication of the environmental questions involved in the present case. Accordingly, Gram Panchayat, Bhudkala through its Sarpanch are impleaded as respondents no. 12 and 13. Memo of parties be amended accordingly.

O.A. No. 446/2022

Balwinder Kumar Vs.
State of Haryana & Ors.

-2-

4. The Registry is directed to issue notice to respondents no. 12-Gram Panchayat, Bhudkala and respondent no. 13-DDPO, Yamuna Nagar requiring them to file their detailed reply/response to the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee and replies filed by other respondents. The Gram Panchayat, Bhudkala and DDPO, Yamuna Nagar shall specifically mention in their reply/response as to the total area of land which vests in Gram Panchayat, Bhudkala and the present status regarding nature, user, possession, mining, reclamation cultivation, afforestation of the same. Reply/response be filed by respondents no. 12-Gram Panchayat, Bhudkala and respondents no. 13-DDPO, Yamuna Nagar within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
5. Respondents no. 3 and 6 are directed to file status report in tabular format with all relevant details regarding FIRs registered and criminal cases/complaints filed in respect of cases of illegal mining, cutting of trees and operation of stone crushers over the land in question within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
6. List for further consideration on 31.01.2024.

Arun Kumar Tyagi, JM

November 08th, 2023
AG

Dr. Afroz Ahmad, EM

जिला यमुनानगर

थाना प्रतापनगर

श्रीमान जी,

आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक न. 2550/MINING/YNR दिनांक 21.11.2023 के संबंध में थाना हजा से मांगी गई रिपोर्ट मुताबिक रिकार्ड इस प्रकार हैं -

SR. NO.	ACTION TAKEN		STATUS
	FIR NO.	DATE	
1	46	14.04.2017	UT 11.08.2017
2	73	24.05.2017	CAN 23.08.2017
3	80	06.06.2017	बरी 15.04.2021
4	125	15.08.2017	बरी 05.07.2022
5	126	15.08.2017	UT 02.10.2018
6	130	20.08.2017	बरी 06.06.23
7	136	24.08.2017	PC 16.02.2018
8	180	11.10.2017	PC 17.10.2018
9	181	12.10.2017	बरी 04.08.2022
10	15	17.02.2018	PC 22.05.2018
11	19	26.02.2018	बरी 06.07.2022
12	88	29.05.2018	CAN 14.02.2020
13	89	29.05.2018	CAN 14.02.2020
14	90	30.05.2018	PC 03.04.2019
15	102	08.06.2018	PC 16.02.2019
16	121	15.07.2018	CAN 01.06.2019
17	166	20.09.2018	CAN 17.01.2022
18	180	22.10.2018	CAN 15.02.2019
19	184	25.10.2018	CAN 22.04.2020
20	25	23.02.2019	UT 11.06.2019
21	105	16.08.2019	CAN 05.02.2020
22	162	25.11.2019	PC 11.06.2020



Arjun Kumar
थाना प्रतापनगर

दिनांक 25.01.2024

प्रेषित

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी,
यमुनानगर।

Annexure - R/3 648

सेवा में

क्षेत्रिय अधिकारी,
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
यमुनानगर।

कमांक 531

/पंचायत दिनांक 30.01.2024

विषय:-

Original Application No. 446/2022 titled as Balwinder Kumar Vs State of Haryana Pending before Hon'ble NGT, New Delhi.

सन्दर्भ:-

माननीय न्यायालय एन0जी0टी0 न्यू दिल्ली के आदेश दिनांक 08.11.2023 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय बारे आपकी सेवा में लिखा जाता है कि उक्त सन्दर्भित आदेशों की पालना में रिपोर्ट खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, प्रतापनगर से प्राप्त की गई जिसका विवरण निम्नप्रकार से है।

ग्राम पंचायत भूडकलां के पास कुल रकबा 344 एकड़- 05 कनाल- 10 मरला है जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पंचायत में शामिल गांव का नाम	कुल रकबा एकड़-कनाल-मरला	कृषि योग्य भूमि का रकबा	पट्टा पर दी गई भूमि का विवरण	वन भूमि का रकबा	रास्ते
01	भूडकलां	108-01-09	10-03-09	05-04-00	20-00-00	06-05-03
02	डेकरीवाला	31-05-17	00-00-00	00-00-00	28-00-00	01-02-06
03	माण्डेवाला	88-05-04	46-01-00	00-00-00	00-00-00	01-06-18
04	कोहलीवाला	84-00-16	09-00-00	00-00-00	12-04-00	05-05-17
05	बेलीभूड़	32-00-04	25-05-06	00-00-00	00-00-00	06-02-18

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भूडकलां के प्रस्ताव न0 01 दिनांक 10.04.2023 द्वारा गांव कोहलीवाला की 5 हैक्टेयर भूमि जिस पर पहले से ही वन विभाग द्वारा पेड़ लगाये हुए हैं को छोड़कर शेष पंचायती भूमि में पेड़ लगाने बारे प्रस्ताव पारित किया गया है जो कि खण्ड कार्यालय प्रतापनगर के पत्र कमांक 1323 दिनांक 05.05.2023 द्वारा जिला वन अधिकारी, यमुनानगर को भेजा गया है। ग्राम की पंचायती भूमि में जब-जब भी किसी व्यक्ति द्वारा अवैध खनन किया गया है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई गई है जिनका विवरण साथ सलंगन है।

ग्राम पंचायत भूडकलां में पंचायती भूमि में किये गये अवैध खनन बारे दर्ज किये गये मुकदमों का वर्णन निम्नप्रकार से है:-

1. मु0न0 126 दिनांक 15.08.2017 धारा 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
2. मु0न0 130 दिनांक 20.08.2017 धारा 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
3. मु0न0 136 दिनांक 24.08.2017 धारा 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
4. मु0न0 180 दिनांक 11.10.2017 धारा 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
5. मु0न0 88 दिनांक 29.05.2018 धारा 379 भा0द0स0 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।



6. मु0न0 89 दिनांक 29.05.2018 धारा 379 भा0द0स0 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
7. मु0न0 90 दिनांक 30.05.2018 धारा 379 भा0द0स0 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
8. मु0न0 15 दिनांक 17.02.2018 धारा 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
9. मु0न0 121 दिनांक 15.07.2018 धारा 379 भा0द0स0 (4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
10. मु0न0 180 दिनांक 22.10.2018 धारा 379 भा0द0स0 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
11. मु0न0 184 दिनांक 25.10.2018 धारा 379 भा0द0स0 21(4) (1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
12. मु0न0 25 दिनांक 23.02.2019 धारा 379 भा0द0स0 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
13. मु0न0 162 दिनांक 25.11.2019 धारा 379 भा0द0स0 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त दर्ज मामलों बारे रिपोर्ट थाना प्रबंधक प्रतापनगर से ली गई जिनकी प्रति साथ सलंगन है तथा वर्तमान समय में ग्राम पंचायत भूडकलां द्वारा दी गई रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत की पंचायती भूमि पर कोई भी अवैध खनन नहीं हो रहा है। अतः खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रतापनगर द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंगन:—उक्त।


जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी
यमुनानगर।

प्रेषित

१

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
प्रतापनगर।

सेवा में

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी,
यमुनानगर।

कमांक 3282

दिनांक 30.01.2024

विषय:-

Original Application No. 446/2022 titled as Balwinder Kumar Vs State of Haryana Pending before Hon'ble NGT, New Delhi.

सन्दर्भ:-

आपके कार्यालय के पत्र कमांक 518-519/पंचायत दिनांक 30.01.2024 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय बारे आपकी सेवा में लिखा जाता है कि उक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से मांगी गई रिपोर्ट ग्राम पंचायत भूडकलां से मांगी गई जिसका विवरण निम्नप्रकार से है।

ग्राम पंचायत भूडकलां के पास कुल रकबा 344 एकड़- 05 कनाल- 10 मरला है जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	पंचायत में शामिल गांव का नाम	कुल रकबा एकड़-कनाल-मरला	कृषि योग्य भूमि का रकबा	पट्टा पर दी गई भूमि का विवरण	वन भूमि का रकबा	रास्ते
01	भूडकलां	108-01-09	10-03-09	05-04-00	20-00-00	06-05-03
02	डेकरीवाला	31-05-17	00-00-00	00-00-00	28-00-00	01-02-06
03	माण्डेवाला	88-05-04	46-01-00	00-00-00	00-00-00	01-06-18
04	कोहलीवाला	84-00-16	09-00-00	00-00-00	12-04-00	05-05-17
05	बेलीभूड	32-00-04	25-05-06	00-00-00	00-00-00	06-02-18

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भूडकलां के प्रस्ताव न० 01 दिनांक 10.04.2023 द्वारा गांव कोहलीवाला की 5 हैक्टेयर भूमि जिस पर पहले से ही वन विभाग द्वारा पेड़ लगाये हुए हैं को छोड़कर शेष पंचायती भूमि में पेड़ लगाने बारे प्रस्ताव पारित किया गया है जो कि खण्ड कार्यालय प्रतापनगर के पत्र कमांक 1323 दिनांक 05.05.2023 द्वारा जिला वन अधिकारी, यमुनानगर को भेजा गया है। ग्राम की पंचायती भूमि में जब-जब भी किसी व्यक्ति द्वारा अवैध खनन किया गया है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए एफ०आई०आर० दर्ज करवाई गई है जिनका विवरण साथ सलग्न है।


ग्राम पंचायत भूडकलां में पंचायती भूमि में किये गये अवैध खनन बारे दर्ज किये गये मुकदमों का वर्णन निम्नप्रकार से है:-

1. मु०न० 126 दिनांक 15.08.2017 धारा 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
2. मु०न० 130 दिनांक 20.08.2017 धारा 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
3. मु०न० 136 दिनांक 24.08.2017 धारा 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
4. मु०न० 180 दिनांक 11.10.2017 धारा 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
5. मु०न० 88 दिनांक 29.05.2018 धारा 379 भा०द०स० 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
6. मु०न० 89 दिनांक 29.05.2018 धारा 379 भा०द०स० 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।

7. मु0न0 90 दिनांक 30.05.2018 धारा 379 भा0द0स0 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
8. मु0न0 15 दिनांक 17.02.2018 धारा 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
9. मु0न0 121 दिनांक 15.07.2018 धारा 379 भा0द0स0 (4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
10. मु0न0 180 दिनांक 22.10.2018 धारा 379 भा0द0स0 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
11. मु0न0 184 दिनांक 25.10.2018 धारा 379 भा0द0स0 21(4) (1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
12. मु0न0 25 दिनांक 23.02.2019 धारा 379 भा0द0स0 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
13. मु0न0 162 दिनांक 25.11.2019 धारा 379 भा0द0स0 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त दर्ज मामलों बारे रिपोर्ट थाना प्रबंधक प्रतापनगर से ली गई जिनकी प्रति साथ सलंगन है तथा वर्तमान समय में ग्राम पंचायत भूडकलां द्वारा दी गई रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत की पंचायती भूमि पर कोई भी अवैध खनन नहीं हो रहा है। अतः ग्राम पंचायत भूडकलां द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंगन:—उक्त।


 क्षेत्रीय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
 प्रतापनगर।

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
प्रतापनगर।

विषय:— **Original Application No. 446/2022 titled as Balwinder Kumar Vs State of Haryana Pending before Hon'ble NGT, New Delhi.**
सन्दर्भ:— जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर के कार्यालय के पत्र क्रमांक 518-519/पंचायत दिनांक 30.01.2024 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय बारे आपकी सेवा में उक्त सन्दर्भित पत्र की पालना में रिपोर्ट दी जाती है कि ग्राम पंचायत भूडकलां के पास कुल रकबा 344 एकड़- 05 कनाल- 10 मरला है जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	पंचायत में शामिल गांव का नाम	कुल रकबा एकड़-कनाल-मरला	कृषि योग्य भूमि का रकबा	पट्टा पर दी गई भूमि का विवरण	वन भूमि का रकबा	रास्ते
01	भूडकलां	108-01-09	10-03-09	05-04-00	20-00-00	06-05-03
02	डेकरीवाला	31-05-17	00-00-00	00-00-00	28-00-00	01-02-06
03	माण्डेवाला	88-05-04	46-01-00	00-00-00	00-00-00	01-06-18
04	कोहलीवाला	84-00-16	09-00-00	00-00-00	12-04-00	05-05-17
05	बेलीभूड	32-00-04	25-05-06	00-00-00	00-00-00	06-02-18

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भूडकलां के प्रस्ताव न० 01 दिनांक 10.04.2023 द्वारा गांव कोहलीवाला की 5 हैक्टेयर भूमि जिस पर पहले से ही वन विभाग द्वारा पेड़ लगाये हुए हैं को छोड़कर शेष पंचायती भूमि में पेड़ लगाने बारे प्रस्ताव पारित किया गया है जो कि खण्ड कार्यालय प्रतापनगर के पत्र क्रमांक 1323 दिनांक 05.05.2023 द्वारा जिला वन अधिकारी, यमुनानगर को भेजा गया है। ग्राम की पंचायती भूमि में जब-जब भी किसी व्यक्ति द्वारा अवैध खनन किया गया है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई गई है जिनका विवरण साथ सलग्न है।

ग्राम पंचायत भूडकलां में पंचायती भूमि में किये गये अवैध खनन बारे दर्ज किये गये मुकदमों का वर्णन निम्नप्रकार से है:-

1. मु०न० 126 दिनांक 15.08.2017 धारा 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
2. मु०न० 130 दिनांक 20.08.2017 धारा 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
3. मु०न० 136 दिनांक 24.08.2017 धारा 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
4. मु०न० 180 दिनांक 11.10.2017 धारा 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
5. मु०न० 88 दिनांक 29.05.2018 धारा 379 भा०द०स० 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
6. मु०न० 89 दिनांक 29.05.2018 धारा 379 भा०द०स० 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
7. मु०न० 90 दिनांक 30.05.2018 धारा 379 भा०द०स० 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
8. मु०न० 15 दिनांक 17.02.2018 धारा 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
9. मु०न० 121 दिनांक 15.07.2018 धारा 379 भा०द०स० (4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
10. मु०न० 180 दिनांक 22.10.2018 धारा 379 भा०द०स० 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
11. मु०न० 184 दिनांक 25.10.2018 धारा 379 भा०द०स० 21(4) (1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।
12. मु०न० 25 दिनांक 23.02.2019 धारा 379 भा०द०स० 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।

13. मु0न0 162 दिनांक 25.11.2019 धारा 379 भा0द0स0 21(4)(1)माईनिंग एक्ट थाना प्रतापनगर।

इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में ग्राम पंचायत भूडकलां की पंचायती भूमि पर कोई भी अवैध खनन नहीं हो रहा है। रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Balesh Devi सरपंच
 सरपंच ग्राम पंचायत भूडकलां
 ग्राम पंचायत प्रभूडकलां (यमुनानगर)
 खण्ड प्रतापनगर।

प्रेषक

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
प्रतापनगर(यमुनानगर)।

सेवा मे,

जिला वन अधिकारी,
यमुनानगर।।

विषय:- क्रमांक 1323 दिनांक 5-5-2023
ग्राम पंचायत भूडकलां की पंचायती भूमि मे पौधारोपण करने बारे।

उपरोक्त विषय बारे आपकी सेवा मे लिखा जाता है कि ग्राम पंचायत भूडकलां की पंचायती भूमि पर लम्बे समय से अवैध खनन हुआ है। जिस कारण पर्यावरण को नुकसान हुआ है और ग्रीन बैल्ट समाप्त हुई है। इसलिए ग्राम पंचायत पुनः ग्रीन बैल्ट को तैयार करके पर्यावरण को संरक्षित करना चाहती है। भूडकलां की पूर्व की ग्राम पंचायत द्वारा पहले भी प्रस्ताव न0 02 दिनांक 10.07.2019 द्वारा लगभग 600 कनाल भूमि में पौधा रोपण करने बारे लिखा गया था परन्तु वन विभाग द्वारा केवल 5 हैक्टेयर भूमि में ही पौधा रोपण किया गया है। उक्त के सम्बंध में ग्राम पंचायत भूडकलां द्वारा प्रस्ताव न0 01 दिनांक 10.04.2023 इस कार्यालय मे देकर ग्राम पंचायत की शेष बची पंचायती भूमि में पौधा रोपण करवाने बारे अनुरोध किया गया है।

अतः ग्राम पंचायत भूडकलां का मूल प्रस्ताव आपकी सेवा मे सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंगन:-ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की प्रति।


खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
प्रतापनगर(यमुनानगर)

पृ0क0 1324-26

दिनांक 5-5-2023

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा मे सूचनार्थ प्रेषित है।

1. उपायुक्त महोदय, यमुनानगर।
2. उपमण्डल अधिकारी(ना0), बिलासपुर।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर।


खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
प्रतापनगर(यमुनानगर)



ग्राम पंचायत भूडकला

खण्ड प्रतापनगर, जिला यमुनानगर (हरियाणा)

दिनांक... 10-4-23


क्रमांक.....

आज की मीठीग में पास मिला कि ग्राम पंचायत भूडकला के गाँव कौदलीवाला की शेष पंचायती भूमि में पौधारोपण करवाना चाहेती है। क्योंकि उक्त भूमि पर लंबे समय से अवैध खनन हुआ है। जिस कारण पर्यावरण को नुकसान हुआ है। और Green Ballot समाप्त हुई है। इसलिए ग्राम पंचायत पुनः Green Ballot क्षेत्र को तैयार करके पर्यावरण को संरक्षित करना चाहेती है उक्त के संवध में पिछली ग्राम पंचायत द्वारा भी अपने प्रस्ताव नं-2, दिनांक 10-7-19 द्वारा भी लगभग 600 कनाल भूमि में पौधारोपण वारे लिखा गया था, परन्तु वन विभाग द्वारा 5 हेक्टर भूमि में ही पौधारोपण मिला गया था। अतः ग्राम पंचायत शेष बची पंचायती भूमि (गाँव-कौदलीवाला) में पौधारोपण करवाना चाहेती है। नकल प्रस्ताव की प्रति श्रीमान B.D.P.O. प्रतापनगर की सेवा में सूचना के संव आवासी कारवाई हेतु प्रेषित है — स्वीकार है

सर्वज्ञी/श्रीमती

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. बालेश देवी सरपंच ६० अंग्रेजी | 2. श्रीपाल पंच ६० स्क्वी |
| 3. रमेश पंच ६० अंग्रेजी | 4. सतपाल पंच ६० स्क्वी |
| 5. रीकु पंच ६० अंग्रेजी | 6. शंकर पंच ६० अंग्रेजी |
| 7. रामराज पंच ६० अंग्रेजी | 8. राजनी पंच ६० अंग्रेजी |

प्रमाणित मिला जाता है कि नकलानुसार असल के द्वारा है।



Ballesh Devi सरपंच
ग्राम पंचायत भूडकला
खण्ड प्रतापनगर (यमुनानगर)